दिनांक 02–11–2018 को अग्रवाल महाविद्यालय बल्लबगढ़ में महिला प्रकोष्ठ के तहत हरियाणा, महिला आयोग के सहयोग से एक वार्ता आयोजित की गई। जिसका विषय था "महिलाओं के कानूनी अधिकार"। अग्रवाल महाविद्यलय प्राचार्य डॉ. कृष्णकान्त गुप्ता के मार्गदर्शन में महाविद्यालय की छात्राओं को जागरूक करने हेतु यह वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वूमन की सदस्या श्रीमती रेनू भाटिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने महिलाओं संबंधी कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी देते हुए महाविद्यालय की छात्राओं को जागरूक किया। साथ ही, उन्होंने छात्राओं के साथ बातचीत करके उनकी जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान भी किया और बताया कि यदि कोई मानसिक या शारिरिक रूप से शोषण कर रहा है तो आप बिना नाम बताए ICC में शिकायत कर सकते हैं और उसके सदस्य भी बन सकते हैं। महिलाएं अपनी पहचान बनाएँ और स्वतंत्र बनें लेकिन स्वच्छंद न बनें। "औरत ही औरत की दुश्मन है" इस कहावत को समाप्त कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर समाज की स्वस्थ नींव रखें और बहादुरी और सुन्दर विचारों के साथ कर्तव्य निर्वाह करते हुए भविष्य में पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करें और सकारात्मक सोच रखें, जिससे महिला कानून की आवश्यकता ना पड़े। किरण बेदी, नफीसा अली, शबाना आजमी, शुषमा स्वराज आदि महिलाओं के उदाहरण देते हुए छात्राओं को सशक्त बनने का संदेश दिया और बताया संघर्षरत होकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा अनेकानेक योजनाएं आयोजित की जा रही है। इसी श्रृंखला में यह वार्ता आयोजित की गई ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सजग हों। इस अवसर पर अग्रवाल महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ (डॉ. गीता गुप्ता, डॉ. रेनू महेश्वरी) एवं एन.एस.एस. (श्रीमती रितु, श्रीमती सीमा मलिक) के अधिकारियों , श्रीमती रितु, श्रीमती सीमा मलिक के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हुआ। इसके साथ–साथ महिला बाल विकास अधिकारी सहयोगी श्रीमती मीनाक्षी चौधरी एवं शकुन्तला रखेजा, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. जयपाल सिंह, डॉ. रामचन्द्र, डॉ. रेखा सेन इत्यादि उपस्थित थे।